रिविजन प्र.क्र.
प्रस्तुति दिनांक 02.05.2013

रा.रा. राजस्व मण्डल ग्वालियर केम्प इन्दौर के न्यायालय में

R. 2012-PBR/13

दिनेश पिता ज्योति भील डामर
निवासी–ग्राम मोरझरी फलिया लाडपुरा
तह. थांदला जिला झाबुआ

——प्रार्थी

विरूद्ध

गलीया पिता मोती डामर
निवासी–लाडपुरा मोरझरी फलिया के पास,
तह. थांदला जिला झाबुआ

———प्रतिप्रार्थी

(रिविजन अन्तर्गत धारा 50 म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959)

अधीनस्थ न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय जिला झाबुआ के द्वारा उनके न्यायालय के प्रकरण क्रमांक 5/अपील/2012–13 मे दिनांक 14.02.13 को आदेश पारित करते हुऐ रेस्पोडेंन्टस की अपील को स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला जिला झाबुआ के द्वारा प्रार्थी को वसुली पटेल पद पर दिनांक 25.10. 12 को नियुक्त किया गया था, उस आदेश को निरस्त कर प्रकरण को पूनः प्रतिप्रेषित किया जिससे दुखित एवं असंतुष्ट होकर प्रार्थी द्वारा दिनांक 30.03. 2013 को श्रीमान् अपर आयुक्त महोदय इन्दौर संभाग इन्दौर के न्यायालय में प्रस्तुत की थी। उक्त द्वितीय अपील की ग्राहयता पर तर्क श्रवण करने के पश्चात् अपर आयुक्त महोदय द्वारा

अविरत——2

दिनांक 10.04.2013 को आदेश पारित कर प्रार्थी को सक्षम न्यायालय में निगरानी प्रस्तुत करने के निर्देश के साथ द्वितीय अपील वापस कर दी उक्त कारण से सदर रिविजन निम्न आधारों के अतिरिक्त अन्य आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है:—

प्रकरण के तथ्य

(1) यह कि, ग्राम मोरझरी के फलीया लाड़पुरा तहसील थांदला जिला झाबुआ मे वसुली पटेल का पद रिक्त होने से तहसील न्यायालय थांदला द्वारा वसुली पटेल की नियुक्ती विधिवत विज्ञप्ति प्रकाशित करवाई गई। विज्ञप्ति प्रकाशित होने के पश्चात् तहसील न्यायालय मे प्रार्थी द्वारा वसुली पटेल पद पर नियुक्ती हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रार्थी के अतिरिक्त गांव के अन्य दो तीन लोगो द्वारा भी वसूली पटेल पद हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया गया था।

(2) यह कि, तहसीलदार थांदला द्वारा वसूली पटेल पद हेतु प्राथमिक समस्त औपरिकताए पूर्ण करने के पश्चात् प्रकरण को श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) थांदला को अग्रीम कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया उक्त प्रकरण का क्रमांक 01/अ—55/2012—13 था। अनुविभागीय अधिकारी, थांदला द्वारा प्रकरण का उचित रुप से परिशीलन करते हुये तथा सभी बिन्दुओं पर विचार करते हुए तहसीलदार थांदला के प्रेतिवेदन से सहमत होकर दिनांक 25.10.12 आदेश पारित करते हुये प्रार्थी को मध्य प्रदेश भु राजस्व संहिता कि धारा 222 के प्रावधनो के अंतर्गत योग्य उम्मीदवार पाते हुए प्रार्थी रिक्त वसूली पटेल पद हेतु नियुक्त किया गया।

अविरत——3

न्यायालय, राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक निगरानी 2012-पीबीआर/2012 जिला झाबुआ

स्थान व दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
13-03-19	प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदकपक्ष द्वारा यह निगरानी कलेक्टर न्यायालय के आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है । म0प्र0भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25-9-2018 से लागू हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत प्रकरण सुनवाई हेतु आयुक्त न्यायालय को भेजा जाता है। उभयपक्ष दिनांक 30-5-2019 को संभागीय आयुक्त के समक्ष सुनवाई हेतु उपस्थित हों । उभयपक्ष सूचित हो। अध्यक्ष	